

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक 06.10.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में साइबर जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों/कालेजों में जाकर साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा जनपदों के समस्त पुलिस अधिकारियों को प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को "साइबर जागरूकता दिवस" के अन्तर्गत साइबर अपराध के संबंध में आमजन मानस को जागरूक किये जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम आज दिनांक 06-10-2021 को समस्त थाना प्रभारियों द्वारा मय साइबर क्राइम टीम के साथ साइबर अपराध जैसे इन्टरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड, ओलेक्स फ्राड, वॉलेट/यूपीआई संबंधित धोखाधड़ी में बरती जाने वाली सावधानियां, फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्राड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्राड के संबंध में सावधानियां, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट्स से हनी ट्रैप आदि के बचाव के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त साथ-साथ खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 155260 पर काल करने हेतु बताया गया।

02-हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

अभियुक्त रविन्द्र पुत्र रामजी सिंह, संजू उर्फ संजय पुत्र रामचरन निवासीगण ग्राम ठाकुरद्वारा थाना पटवाई, रामपुर तथा विष्णु पण्डित उर्फ विजय शर्मा उर्फ उदय प्रकाश पुत्र श्यामदास शर्मा निवासी ग्राम निवासी मिठाई उर्फ मिठा थाना बिसौली जनपद बदायूँ द्वारा लाल सिंह निवासी ग्राम ठाकुरद्वारा थाना पटवाई, रामपुर की हत्या कर दी थी। इस सम्बंध में थाना पटवाई, रामपुर पर मु0अ0सं0-431/12 धारा 302,34 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

जनमानस में कानून के प्रति विश्वास सुदृढ़ बनाये रखने के लिए पुलिस द्वारा अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय से सजा दिलायी जाती है के अन्तर्गत दिनांक 06-10-2021 को मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में तीनों अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बिलासपुर:-30 लीटर नाजायज शराब खाम बरामद 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06-10-2021 को अनिल मसीह पुत्र केवल मसीह निवासी ग्राम मार्टिन नगर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर को बहेड़ी रोड से ग्राम मार्टिन नगर की ओर जाने वाले खडंजे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 30 लीटर नाजायज शराब खाम के

साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में थाना बिलासपुर, रामपुर पर मु0अ0सं0-368/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना सिविल लाईंस:-01 अद्व नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.10.2021 को सुल्तान पुत्र स्व0 वाहिद खां निवासी लेबर कालौनी निकट छात्रावास राधा रोड थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर को मालगोदाम तिराहे से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अद्व नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। इस सम्बंध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मु0अ0सं0-322/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।